

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -301

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01560

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरिहंत सिटी", प्रमोटर-श्री राजेश कुमार जैन, पता-
ए-4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अरिहंत सिटी" गोविन्दपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/09/2022	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "अरिहंत सिटी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA240419000962 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/ रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 25.11.2021 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रकरण की सनुवाई के दौरान लंबित अनुपालनों को पूर्ण करने हेतु समय प्रदान का अनुरोध किया गया।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के पंजीयन उपरांत प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर केवल जून, 2021 तक ही त्रैमासिक जानकारी अपलोड की गई है। अनावेदक द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार जून, 2021 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 14 प्रतिशत है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -301

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01560

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरिहंत सिटी", प्रमोटर-श्री राजेश कुमार जैन, पता-
ए-4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अरिहंत सिटी" गोविन्दपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्राधिकरण में प्रस्तुत पंजीयन हेतु आवेदन अनुसार प्रोजेक्ट पूर्णता दिनांक 30.09.2021 है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का विकास कार्य एक त्रैमासिक में ही 14 प्रतिशत से 100 प्रतिशत होने की संभावना अति न्यून है। अनावेदक ने सुनवाई के दौरान भी कभी भी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के लगभग एक वर्ष समय उपरांत भी अनावेदक ने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण नहीं किया है। साथ ही अनावेदक द्वारा जून, 2021 उपरांत कोई त्रैमासिक जानकारी अपलोड नहीं की गई है, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट की प्रगति का आंकलन किया जाना संभव नहीं है। इससे प्राधिकरण के पास यह भी जानकारी नहीं है कि अनावेदक ने प्रोजेक्ट में आबंटितियों से प्राप्त निधि का उपयोग प्रोजेक्ट विकास में अधिनियम के प्रावधानों अनुसार किया है अथवा नहीं। साथ ही अनावेदक ने प्रोजेक्ट पंजीयन से संबंधित कुछ दस्तावेज भी वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं किये हैं और ना ही प्रोजेक्ट पंजीयन में कोई विस्तार किया है। अनावेदक का उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 व धारा-11 का उल्लंघन है। चूँकि अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत आबंटितियों के हितों का संरक्षण व रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का निर्धारित समयावधि में विकास सुनिश्चित कराना प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक तक का प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर त्रैमासिक अद्यतन करने तथा उपरोक्तानुसार जानकारियाँ प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को दो माह का समय दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने तक आबंटितियों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया जाना तथा प्रोजेक्ट संबंधी समस्त खातों से आहरण पर रोक लगाया जाना भी उचित प्रतीत होता है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -301

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01560

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरिहंत सिटी", प्रमोटर-श्री राजेश कुमार जैन, पता-
ए-4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"अरिहंत सिटी" गोविन्दपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार अंतरिम आदेश आदेश पारित किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. अनावेदक, दो माह के भीतर प्रोजेक्ट संबंधी सभी लंबित त्रैमासिक अद्यतन प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना तथा अन्य लंबित अनुपालनों को पूर्ण करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रमोटर को डिफाल्टर घोषित किया जावेगा।2. अनावेदक द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने तक विवादित प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा प्रोजेक्ट संबंधी समस्त खातों से आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, जिला-कांकेर (छ.ग.), जिला-पंजीयक, जिला- कांकेर (छ.ग.) व क्षेत्रीय प्रबंधक, संबंधित बैंक (बैंकों) को इस संबंध में पृथक से पत्र प्रेषित करे। <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -301

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01560

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरिहंत सिटी", प्रमोटर-श्री राजेश कुमार जैन, पता-
ए-4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अरिहंत सिटी" गोविन्दपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -301

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01560

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरिहंत सिटी", प्रमोटर-श्री राजेश कुमार जैन, पता-
ए-4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"अरिहंत सिटी" गोविन्दपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -301

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01560

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरिहंत सिटी", प्रमोटर-श्री राजेश कुमार जैन, पता-
ए-4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"अरिहंत सिटी" गोविन्दपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--